तारीख हुक्म	
30/8/22	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि0...27/9/22...को पेश हो। [signature] रीडर
27/9/22	वकील प्रार्थी उप. है। अप्रार्थी नं. 1, 2 बावजूद पुकार हाजिर अदालत नहीं है अतः अप्रार्थी नं. 1, 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने वास्ते बहस पत्रा. दि0 11-10-22 को पेश हो। [signature]
11/10/22	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी~~/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~दौरा पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~पद रिक्त हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...1/11/22 को पेश हो। [signature] रीडर
1-11-22	वकील प्रार्थी उप. है। वास्ते बहस पत्रा. दि0 28-11-22 को पेश हो। [signature]
28-11-22	वकील प्रार्थी उप. है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा. दि0 6-12-22 को पेश हो। [signature]
6/12/22	वकील प्रार्थी उप. है। प्रार्थी का ... धारा 251(A) RT Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
38/2022	7.7.2022	6.12.2022

1. कांजी बैरवा पुत्र स्व. काड़ू, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
2. चरण बैरवा पुत्र स्व. काड़ू, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
3. प्रहलाद बैरवा पुत्र स्व. काड़ू, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
4. लाडबाई पत्नी स्व. काड़ू, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
5. गोपाल बैरवा पुत्र स्व. जौहरया, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
6. महेश बैरवा पुत्र स्व. जौहरया, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
7. मथुरी बैरवा पत्नी स्व. जौहरया, बैरवा निवासी नौगांव गंगापुर सिटी
8. राकेश बैरवा पुत्र बुद्धा, बैरवा निवासी ग्राम नौगांव गंगापुर सिटी
9. राजू बैरवा पुत्र बुद्धा, बैरवा निवासी ग्राम नौगांव गंगापुर सिटी
10. सोमोती बैरवा पत्नि बुद्धा, बैरवा निवासी ग्राम नौगांव गंगापुर सिटी
11. लक्खो देवी पत्नि स्व0 मोहन, बैरवा निवासी नौगांव तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद बैरवा पुत्र कन्हैया, बैरवा निवासी नौगाव गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– श्री छुट्टन लाल बैरवा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 4 की हॉल आराजी खसरा नंबर 1006 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 1009 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 1598 रकबा 1.23 है0, खसरा नंबर 871 रकबा 0.90 है0, ग्राम नौगांव में स्थित हैं इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 की हाल आराजी खसरा नंबर 1013 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 1882/871 रकबा 0.90 है0, खसरा नंबर 1901/1598 रकबा 1.24 है0 ग्राम नौगांव स्थित है तथा प्रार्थीगण संख्या 8 लगायात 11 का हाल खसरा नंबर 1008 रकबा 0.13 है0 सामूहिक रूप से ग्राम नौगांव में स्थित है और खातेदारी व कब्जे काश्त [illegible] है। जिहें प्रार्थीगण ही कब्जाकाश्त कर अपने उपयोग [illegible] लेते चले आ रहे है। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक [illegible]ता नही है। प्रार्थीगण की उक्त की भूमियों के उत्तर की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि आराजी खसरा नंबर 1005 रकबा 0.17 है0 से सटेवां आम रास्ता खसरा नंबर 1103 रकबा 0.87 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित है जो ग्राम नौगांव की आबादी तक जा रहा है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है। आराजी ख0न0 1103 गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

मुमकिन रास्ता है जो आमजन के रास्ते हेतु उपयोग उपभोग में आ रहा है तथा पक्की सडक बनी हुई है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते के दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0न 1005 रकबा 0.17 है0 के चरपेटवा प्रार्थीगणों की आराजीयात ख0न 1006, 1009, 1013 एवं 1008 स्थित है। जिन पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी ख0न 1006, 1009, 1013 व 1008 खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात पर ख0न0 1005 रकबा 0.17 है0 में होकर अपने पूर्वजों के समय से विगत पचासों वर्षों से आजे जाते रहे है और वर्तमान में भी उक्त भूमि में बने रास्ते का उपयोग उपभोग उक्त खसरा नम्बरान हेतु कर रहे है। प्रार्थीगण को अपने भूमियों में आवागमन के लिए एक कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए भूमि ख0न 1005 में स्थित रास्ते से ही निकलना पडता है जो करीब 10–12 फिट चौडाई का उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित रहा है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी–नक्से में वैरंग हरे रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि उक्त मद नंबर 1 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1006, 1009, 1013 व 1008 तक पहुचने हेतु यही एकमात्र निकटतम रास्ता है जो संलग्न नजरी–नक्से में हरे रंग से दर्शित है और जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि उक्त मद नंबर 1 में वर्णित भूमि 1006, 1009, 1013 व 1008 में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। इस कारण प्रार्थीगणों को अपनी कृषि भूमियों में आने जाने हेतु रास्ता ख0न0 1103 से निकटतम रास्ता भूमि ख0न 1105 में होकर ही बनता है तथा यही रास्ता मौके पर पूर्वजों के समय से ही बना हुआ है फिर भी उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 उक्त रास्ते से होकर पचासों सालों से आमद रफ्त करते रहे हैं परन्तु अब अप्रार्थी संख्या–1 की मन में बदयान्ति आ गई है और उक्त भूमि खसरा नंबर 1005 को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित कर आवासीय भूखण्ड बनाकर दीगर समाज के व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है और रास्ते को मात्र 5 फिट तक छोटा कर दिया है। रास्ते को बंद करने की धमकी आये दिन देता रहता है। दिनांक 24.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते को पूर्णत बन्द करना चाहा तो प्रार्थीगण द्वारा जैसे तैसे रास्ता खुलवाया जबकि उक्त रास्ते का प्रार्थीगण शुरू से ही उपयोग उपभोग व प्रयोग करते चले आ रहे है परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 का कोप भाजन भी होना पड रहा है तथा आये दिन झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता रहता है। कागजात सरकारी लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यु में उक्त रास्ते की कोई तरमीम नही हो रही है जिससे प्रार्थीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की भूमि हॉल आराजी खसरा नंबर 1006 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested.

कलेक्टर
(स0मा0)

1009 रकबा 0.12 है0, ग्राम नौगांव व प्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 की हॉल भूमि आराजी खसरा नंबर 1013 रकबा 0.21 है0, ग्राम नौगांव तथा प्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 11 की हाल खसरा नंबर 1008 रकबा 0.13 है0 सामूहिक रूप से ग्राम नौगांव पर आने जाने हेतु व कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी हाल खसरा नंबर 1005 में से 30 फिट चौडा रास्ता जो उत्तर से दक्षिण की ओर है जिसे संलग्न नजरी–नक्से में हरे रंग से दर्शित किया गया है को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। माननीय न्यायालय यदि मुआवजा अदा करने बाबत किसी प्रकार का आदेश देता है तो प्रार्थीगण वह राशि भी जमा कराने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने ग्राम नौगांव की नकल जमाबंदी सं0 2073–76 खाता संख्या 41, 279, 147, 392, 1 नकल नक्शा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/22/2025 दिनांक 7.9.2022 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्धान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए भूमि ख0न0 1005 मे होकर रास्ता दिया जावे क्योकि प्रार्थीगण इन नम्बरो मे होकर पूर्व से ही आवागमन करते रहे है एवं प्रार्थीगण को उनके खेतो पर पहुचने के लिए यह सबसे छोटा रास्ता है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार भूमि की कीमत भी जमा कराने को तैयार है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि ख0नं0 1005 से में होकर 30 फीट चौडाई में रास्ता चाहा जा रहा है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 7.9.2022 के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता ही है। फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

कलेक्टर
(स0मा0)

एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में हरी स्याही से दर्शाए गए रास्ते के अनुसार एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित विवरण के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0नं0 1005 ग्राम नौगॉव में से 30 फीट चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 104 वर्गमीटर (1119 वर्गफीट) प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग हेतु रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से कम की जाकर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। चूंकि यह भूमि आबादी के पास है अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त डी0एल0सी0 दर 1838/– रूपये प्रतिवर्गमीटर के अनुसार 104 वर्गमीटर भूमि की कीमत 191152/–रू0 होती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः उपरोक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थीगण इस न्यायालय में जमा करावें । निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.12.2022 को सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0) सत्यमेव जयते

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स0

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.02.13 16:29:04 IST
Reason: SelfAttested